



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 पुनरीक्षण

R- 3290/I/2015

गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जनक सिंह

जाति-ठाकुर/निवासी-नाहर का पुरा

मौजा-जाटई तहसील पोरसा जिला-मुरैना म.प्र.

विरुद्ध

इन्द्रा देवी पत्नी श्री सियाराम

जाति-ठाकुर निवासी-नाहर का पुरा मौजा-जाटई

तहसील-पोरसा जिला-मुरैना म.प्र.

दिनांक 8-10-15 को
श्री कृष्ण कं. बालरूप
काठी 570 मकसुदा

कं.
8-10-15
50

तहसीलदार पोरसा जिला-मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/14-15/अ-12 में पारित आदेश दिनांक 21-09-2015 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है-

1. यह कि, तहसीलदार महोदय का विवादित आदेश एवं कार्यवाही अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि, अनावेदक ने ग्राम-जाटई की भूमि सर्वे क्रमांक 140 के विभाजन हेतु संहिता की धारा-178 के अंतर्गत तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक-32/2013-14 में एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करते हुये दिनांक 30-10-2014 को अंतिम आदेश पारित किया.
3. यह कि, नायब तहसीलदार के उपरोक्त प्रकरण से परिवेदित होकर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसका प्रकरण क्रमांक 100/14-15 है इस अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 15-06-2015 को आवेदक के हित में स्थगन आदेश प्रदत्त किया.
4. यह कि, अनावेदक ने नायब तहसीलदार के उपरोक्त आदेश दिनांक 30-10-2014 को आधार बनाकर तहसीलदार पोरसा के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें

29092


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3290-एक/15

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	